

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 86/2020 – निगरानी

1. जहीर खां पिता मोहम्मद जमील बनाम 1. फेमिदा पत्नी. मोहम्मद हनिफ खान  
निवासी भदालीखेड़ा हाल निवासी भदालीखेड़ा हाल मुकाम  
निवासी मोहमदी कॉलोनी मोहमदी कॉलोनी शास्त्री नगर  
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा  
भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत आरजिया, जरिये सरपंच  
ग्राम पंचायत आरजिया, तहसील व  
जिला भीलवाड़ा

—निगराकार

— गैर निगराकार

विरुद्ध संकल्प संख्या 02 आदेश दिनांक 20.08.2017, पट्टा संख्या 43 दिनांक  
28.08.2017 को ग्राम पंचायत आरजिया, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा  
निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

उपरिस्थित –

1. अधिवक्ता श्री मोहम्मद वासीफ खान पठान – निगराकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री सबदर अली – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

## निर्णय

दिनांक 21.01.2025

निगराकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत विपक्षीगणों के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 01 का आवासीय पट्टा जो संकल्प संख्या 02 आदेश दिनांक 20.08.2017, पट्टा संख्या 43 दिनांक 28.08.2017 को गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है, जो फर्जी व कुटुरचित एवं मिथ्या होने की वजह से निरस्त होने योग्य है एवं गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 से मिलीभगत कर पट्टा जारी कर उप पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा से पंजीयन करवाया लिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। निगराकार के दादा को आज से करीब 60 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत मालोला द्वारा भूखण्ड दिया गया, जो तत्कालीन प्रचलित विधिनुसार दिया गया था, जिस पर निगराकार के दादा अहमदनुर पठान के नाम पर जारी किया गया था तथा निगराकार के दादा का जीवनपर्यन्त उसका कब्जा रहा था तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त निगराकार की दादी एवं उनके वारिसान जो अभी वर्तमान में जीवित है, का कब्जा निर्बाद निरन्तर रूप से चला आ रहा है। दिनांक 19-03-2019 को गैर निगराकार संख्या 01 प्रति मोहम्मद हनीफ एवं

